

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
संख्या:-2266/1जी-FP/UK/VELEC/13267/2015 देहरादून: दिनांक: 03 फरवरी, 2016

सेवा में,
अपर सचिव, वन
उत्तराखण्ड शासन।

विषय:- जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर के अन्तर्गत क्यारी सुरकण्डा 11 के 0वी0 विद्युत लाईन के निर्माण हेतु-0.6 है0 वन भूमि हस्तान्तरण FP/UK/VELEC/13267/2015

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव शासन को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है जिसकी हार्ड कॉपी आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संलग्न कर विशेष पत्र वाहक के माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है। अतः जनहित में प्रस्ताव आपदा प्रभावित जनपद में 1 है0 से कम क्षेत्रफल तथा प्रति है0 50 से कम अनुपात में वृक्ष प्रभावित होने के कारण प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति राज्य सरकार स्तर से प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

भवदीय,


(एस0टी0एस0 लेप्चा)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

संख्या /1जी-FP/UK/VELEC/13267/2015 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
2. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, पौड़ी
3. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून।
4. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, देहरादून।
6. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि0, टिहरी गढ़वाल।

(एस0टी0एस0 लेप्चा)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)
परियोजना का नाम:

विषय:- जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर के अन्तर्गत क्यारी सुरकण्डा 11 के 0वी0
विद्युत लाईन के निर्माण हेतु-0.6 है0 वन भूमि हस्तान्तरण FP/UK/VELEC/13267/2015

1. टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त योजना हेतु नरेन्द्रनगर वन प्रभाग में 0.5 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.1 है0 सिविल सोयम वन भूमि अर्थात् कुल 0.6 है0 वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्तावित है, जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त योजना के निर्माण हेतु उपरोक्त वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग तथा वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की गई है। अतः जनहित में प्रस्ताव आपदा प्रभावित जनपद में 1 है0 से कम क्षेत्रफल तथा प्रति है0 50 से कम अनुपात में वृक्ष प्रभावित होने के कारण प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर:

नाम व पदनाम: (एस0टी0एस0लेप्चा भा.व.से.)

प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण

एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण विदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

सरकारी मोहर:

तिथि : 4/02/2016

स्थान : देहरादून